



107

R45-I-17

न्यायालय माननीय राज्य मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12087 निगरानी

श्री एच. डी. अवरुथ द्वारा बाज दि 3-1-17 को प्रस्तुत

सुरेश नारायण शर्मा पुत्र राममरोसे शर्मा, निवासी- सिद्धकिया मौहल्ला, मिण्ड- तेहसील व जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश।

L₀
8.1.17
31/17
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----- पार्थी

बिराघ्य

----- प्रतिपार्थी

मध्यप्रदेश शासन

निगरानी बिराघ्य आदेश एस०डी०जी० महोदय मिण्ड दिनांकी 28-12-16, अंतर्गत धारा 40 मध्यप्रदेश मू-राजस्व बहिस्ता, 1844. प्रकरण क्रमांक 20 186-17 अपील।

शाखा न्यायालय (रा.प्र.)
ग्वालियर

- श्रीमान् जी,
- निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-
- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानून सही नहीं हैं।
 - 2- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।
 - 3- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने ~~प्रकरण के~~ पार्थी के स्थगन आवेदन-पत्र को निरस्त करने में अपनी न्यायिक विवेक का प्रयोग सही नहीं किया गया है।
 - 4- यह कि, एस०डी०जी० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं वाज्जता हुआ आदेश न होकर सकारण आदेश न होने से विवादित आदेश निरस्ती योग्य है।


एस०डी०जी० महोदय ने उनके समक्ष प्रस्तुत स्थगन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-45-एक/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	